गृह (ग्रुप–6) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
डायरी संख्या .....
दिनांक .....

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–11) विभाग

जयपुर, दिनांकः–10.04.2023

क्रमांकः प.7(79)गृह-11/2023

परामर्शदात्री

यह ध्यान में आया है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर द्वारा अनुसंधान के उपरान्त भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 में सक्षम प्राधिकारी को अभियोजन स्वीकृति जारी करने के प्रस्ताव के साथ–साथ अभियोजन स्वीकृति जारी किये जाने का प्रारूप भी सहायतार्थ प्रेषित किया जाता है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा कई बार प्रारूप के हुबुहू ही अभियोजन स्वीकृति जारी कर दी जाती है।

कार्मिक विभाग ने परिपत्र क्रमांक प.2(31)कार्मिक/क–3/96 जयपुर दिनांक 31.12.1996 के बिन्दु संख्या 3 में यह वर्णित किया है कि **"सक्षम अधिकारी की सुविधा हेतु ब्यूरो/पुलिस द्वारा प्रारूप अभियोजन स्वीकृति तैयार किया जाकर अपने प्रस्ताव के साथ भेजा जाता है। विचार–विमर्श के बाद अगर सक्षम अधिकारी संतुष्ट हो जाता है तो ऐसे प्रारूप के आधार पर अभियोजन स्वीकृति जारी की जा सकती है, लेकिन किसी भी हालत में ब्यूरो/पुलिस द्वारा भेजे गये प्रारूप की फोटो स्टेट कर, उस पर हस्ताक्षर कर नहीं भेजा जाना चाहिए और न ही जारी की गई अभियोजन स्वीकृति में "प्रारूप" शब्द अंकित होना चाहिए।"**

इस सम्बन्ध में कार्मिक विभाग ने पत्र क्रमांक प.2(2)(48)का./क–3/2002 जयपुर दिनांक 15.05.2012 के द्वारा यह स्पष्ट किया कि **"सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभियोजन स्वीकृति जारी करते समय प्रकरण के तथ्यों पर स्वमनन करते हुए प्रकरण के तथ्यों पर स्वतंत्र एवं विवेकपूर्ण चिंतन कर अभियोजन स्वीकृति का निर्णय लिया जाए।"**

Sh. Vijay
13/4/23

कार्मिक विभाग ने पुनः परिपत्र प.2(157)कार्मिक/क–3/97 जयपुर दिनांक 16.05.2016 के द्वारा भी यह स्पष्ट किया कि **"सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया आदेश मात्र अनुसंधान अधिकारी के निष्कर्षों की पुनरावृत्ति न होकर, प्रकरण के तथ्यों के विवेचन व विश्लेषण पर आधारित विस्तृत तर्कपूर्ण आदेश (Speaking Order) होना चाहिए जिसके अवलोकन से यह परिलक्षित हो सके कि प्राधिकारी द्वारा आदेश जारी किये जाने से पूर्व अपने स्वतंत्र मस्तिष्क का प्रयोग (Independent Application of Mind) किया गया है। अतः भविष्य में सभी सक्षम प्राधिकारी अभियोजन स्वीकृति या मनाही का विस्तृत व तर्कपूर्ण आदेश जारी करें।"**

अतः यह परामर्श प्रदान की जाती है कि सक्षम प्राधिकारी, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 में अभियोजन स्वीकृति जारी करते समय कार्मिक विभाग द्वारा जारी उक्त परिपत्र/पत्र की पालना होना सुनिश्चित करें। उक्त परिपत्र/पत्र द्वारा जारी दिशा–निर्देशों की अवहेलना को गम्भीरता से लिया जायेगा।

आज्ञा से,

-Sd/-

(आनंद कुमार)
प्रमुख शासन सचिव, गृह

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री (गृह) महोदय, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्य मंत्री गृह महोदय, राजस्थान सरकार।
3. शासन उप सचिव, मुख्य सचिव महोदया, राजस्थान सरकार।

(सीमा कुमार)
संयुक्त शासन सचिव, गृह

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव को प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्त परामर्शदात्री अपने अधीनस्थ विभागाध्यक्षों को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।

संयुक्त शासन सचिव, गृह

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर।
2. महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर।
3. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (अपराध), राजस्थान जयपुर।
4. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (ए.टी.एस. एवं एस.ओ.जी.), राजस्थान जयपुर।
5. पुलिस आयुक्त जयपुर/जोधपुर।
6. महानिरीक्षक पुलिस रैन्ज।
7. समस्त जिला मजिस्ट्रेट।
8. समस्त पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस उपायुक्त।
9. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. संयुक्त शासन सचिव, गृह (ग्रुप–6) को प्रेषित कर अनुरोध है कि, इसे विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव, गृह